राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in **website: www.rlsa.gov.in**

क्रमांक :–एफ–7(76)रालसा / संस्था–अध्यक्ष,पी.एल.ए.विविध / 2025 / 404 दिनांकः 30-06-2025

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अधीन जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय, कोटा पर स्थापित स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत जिला न्यायाधीश) की 65 वर्ष की आयु दिनांक 30.06.2025 को पूर्ण हो रही है। निर्देशानुसार नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को स्थायी लोक अदालत, कोटा के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्य (As a Part time Chairperson) करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का कार्य करने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा।

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पद का कार्यभार नियमानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को सौंपकर भारमुक्त होंवे एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को निर्देशित किया जाता है कि अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, कोटा का पद कार्यभार ग्रहण कर इस प्राधिकरण को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 03 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए स्थायी लोक अदालत, कोटा के पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण स्थायी लोक अदालत, कोटा के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को स्थायी लोक अदालत, कोटा के कार्यालय के वित्तीय कार्यो के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाता है। ये प्रावधानानुसार अपने कर्त्तव्य व दायित्वों सामान्यतया सरकार के सामान्य व वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों में निर्धारित किए गए एवं महत्वपूर्ण कर्तव्यों का सारांश जी0एफ एंड ए0 आर0 के परिशिष्ठ 01 में दिया गया है, के साथ–साथ अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।

इस कार्यालय के पत्रांक 4520–4554 दिनांक 10.05.2012 में वर्णित दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी लोक अदालत की बैठक सामान्यतः प्रतिमाह दो सुनिश्चित की जावें, किन्तु प्रकरणों की संख्या के आधार पर अधिकतम सप्ताह में एक बार स्थायी लोक अदालत की बैठक आयोजित की जा सकती है।

आज्ञा से,

Sd/-
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

क्रमांक :–एफ–7(76)रालसा / संस्था–पी.एल.ए.गठन / 2025 / 4674-91 दिनांकः 30-06-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा ।
7. अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा ।
8. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, कोटा ।
9. सदस्य, स्थायी लोक अदालत, कोटा ।
10. निदेशक / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव–प्रथम / द्वितीय, रालसा, जयपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
13. आदेश / संबंधित / रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

E:\Establishment Section\Permanent Lok Adalat\PLA Order.docx